"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2010— कार्तिक 7, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

PUBLIC NOTICE

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL (AUXI.) 1st F. T. C. SHRI B. M. TRIVEDI SAHEB, AT DIST. MEHSANA

M. A. C. T. NO. 474/2006
FIXED ON : 25-10-2010

Applicant :- Gujarat State Trasport Road Co.
Main Office Ahmedabad
Division Office Mehsana Modher Char Rasta.

VERSUS

Opponent :- (1) Mahmad Kasim Mahmad Nanku Shaikh
C/o Gurudip Fartilaizar Cariar
Raypur (Chhatisgadh)

To,

The Opponent No. 1 as above,

Whereas, the above named claimant (Applicant) has made an application to this Tribunal claiming compensation of Rs. 3,79,935/- u/s. 166 of the Motor Vehicles Act, 1988.

You are hereby warned to appear this Tribunal in person on the 25th October 2010, Mehsana at 11.00 A. M. To answer the claim and you must be prepared to produce on that day all the documents upon which you intend to reply in support of your defence.

Take notice that in default of your appearance on the before mentioned the claim petition will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal this 28 September 2010

Drawn on,	Checked by,	By Order,
Sd/-	Sd/-	Sd/-
A. R. (Suneja)	**A. s. (Raval)**	**I/c. (P. B. Shukal)**
Assistant	Superintendent	Deputy Registrar,
Court of 1st F. T. C.	Court of 1st F. T. C.	M. A. C. T. Branch
Mehsana.	Mehsana.	District Court, Mehsana.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शोभाराम अग्रवाल पिता मनहरण सिंह अग्रवाल, आयु-21 वर्ष, निवासी-ग्राम-दमोदा पो.-बोरई, थाना-पुलगांव, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शोभाराम एवं शोभा अग्रवाल दर्ज है. जिसे परिवर्तित कर मैं अपना नाम संजय अग्रवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अबसे मुझे संजय अग्रवाल पिता मनहरण सिंह अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
शोभाराम, शोभा अग्रवाल	संजय अग्रवाल
पिता-मनहरण सिंह अग्रवाल	पिता-मनहरण सिंह अग्रवाल
निवासी-ग्राम-दमोदा	निवासी-ग्राम-दमोदा
पोस्ट-बोरई	पोस्ट-बोरई
थाना-पुलगांव	थाना-पुलगांव
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला - दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

प्ररूप क्र. 4
[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास, नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक /2027/प्र.3/लो. न्यास/अविअ/2010.— यत: कि श्री बलवंत राय जैन आ. श्री जे. पी. जैन निवासी 63 नेहरूनगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ने ज्योतिप्रसाद सरबती देवी चेरिटेबल ट्रस्ट भिलाई के छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 15-11-2010 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	ज्योतिप्रसाद सरबती देवी जैन चेरीटेबल ट्रस्ट भिलाई
2.	चल संपत्ति	:	15.13 लाख इन्वेस्टमेंट म्युचुअल फण्ड में
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक सहकारी समिति मर्यादित, लोरमी (छ. ग.)

लोरमी, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक/परि./क्यू./1834.— छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के उप नियम 57 (5) के तहत् यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.